



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

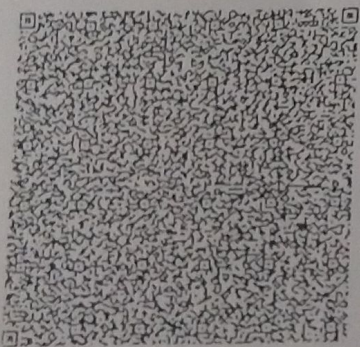
e-Stamp

Purchase

Certificate No.	: IN-UP01032903743617N
Certificate Issued Date	: 23-Apr-2015 03:24 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ BARABANKI/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0101243112969035N
Purchased by	: STAYLIAN INFRADEVELOPERS PVT LTD BY VISHAL
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: GATA NO-1194 AND 1197, AREA-0.084 HECT, VILL-CHHEDA NAGAR, PAR-PRATAPGANJ, NAWABGANJ, BARABANKI
Consideration Price (Rs.)	: 6,00,000 (Six Lakh only)
First Party	: VINOD KUMAR S O MUKUNDILAL
Second Party	: STAYLIAN INFRADEVELOPERS PVT LTD BY VISHAL
Stamp Duty Paid By	: STAYLIAN INFRADEVELOPERS PVT LTD BY VISHAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 58,800 (Fifty Eight Thousand Eight Hundred only)

9042.8926

1194, 1197

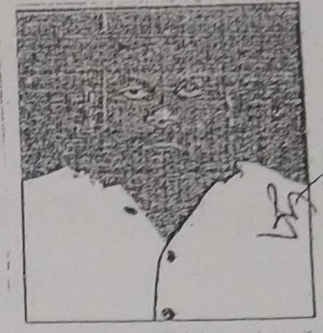
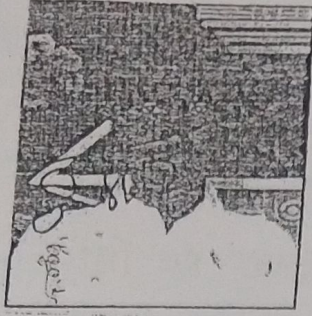


Please write or type below this line

1194, 1197

1194

विनोद



(2)

विक्रय-पत्र

बिक्री 6,00,000/- मालियत 8,40,000/- ई-स्टाम्प 58,800/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | - | कृषि |
| 2. परगना | - | प्रतापगंज |
| 3. ग्राम | - | छेदानगर |
| | | वी-कोड-1351 पृष्ठ-94 |
| 4. सम्पत्ति का विवरण नं० | - | 1194 व 1197 |
| 5. मापन की इकाई | - | हे० |
| 6. क्षेत्रफल | - | 0.084 हे० |

विनोद एम०



(3)

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|-----------------------|
| 7. | सड़क की स्थिति | - | कुछ नहीं |
| 8. | अन्य | - | कुछ नहीं |
| 9. | सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि/सड़क से हटकर |
| 10. | पेड़ों का मूल्यांकन | - | कुछ नहीं |
| 11. | बोरिंग कुआं व अन्य | - | कुछ नहीं |
| 12. | सरकारी दर | - | 50,00,000/- प्रति हे० |
| 13. | प्रतिफल की धनराशि | - | 6,00,000/- |
| 14. | चौहद्दी गाटा संख्या 1194-- | | |

पूरब खेत गाटा संख्या 1169 पश्चिम खेत गाटा संख्या 1196
उत्तर खेत गाटा संख्या 1168 व 1195 दक्षिण खेत गाटा संख्या
1193

चौहद्दी गाटा संख्या 1197--

पूरब खेत गाटा संख्या 1192 व 1193 पश्चिम खेत गाटा संख्या
1112 व 1113 उत्तर खेत गाटा संख्या 1198 व 1196 दक्षिण
खेत गाटा संख्या 1192 व 1216.

विनोद कुमार

200



प्रथम पक्ष संख्या 1

विक्रेता का विवरण

विनोद कुमार पुत्र मुकुन्दी लाल
निवासी ग्राम छेदानगर परगना
प्रतापगंज तहसील नवाबगंज
जिला बाराबंकी।

नि०का०सं०-DSZ3255007

द्वितीय पक्ष संख्या 1

क्रेता का विवरण

स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०
द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान
निवासी म०नं०-41 मोहल्ला विशम्भरपुर
गनियारी परगना व तहसील व जिला
देवरिया।

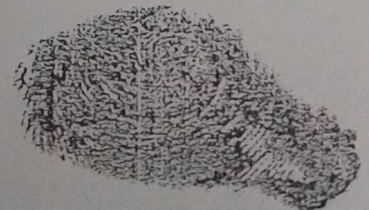
नि०का०सं०-UP/41/202/0618153

-:: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण ::-

हम विनोद कुमार पुत्र मुकुन्दी लाल निवासी ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी। प्रथम पक्ष विक्रेता व स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान निवासी म०नं०-41 मोहल्ला विशम्भरपुर गनियारी परगना व तहसील व जिला देवरिया द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। जोकि मैं प्रथम पक्ष आराजी भूमिधरी नम्बरान जिसका विवरण निम्नलिखित है जो ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है।-----

विनोद कुमार

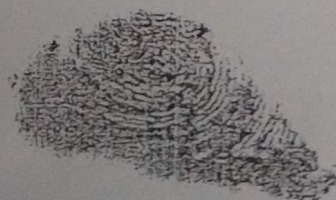
✓ 200



जिसका प्रथम पक्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार पूर्णया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से निम्नलिखित विवरण की भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु0 6,00,000/- छः लाख रुपया जिसके आधे 3,00,000/- तीन लाख रुपये होते हैं के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुका है अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से बिक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष ने अपने ही समान द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया। इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष या मेरे किसी उत्तराधिकारी या अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध बिक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है जो चाहे करे व बिक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से बिक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे।----

विनोद 08/12

2000



तो उसकी वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय अर्थात उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उसके बाद उसके वारिसान पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या अन्य मार्ग या खड़न्जा मार्ग पर नहीं है। इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया है। यह प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है इसमें कोई निर्माण नहीं है तथा विक्रीत भूमि में पेड़ व बोरिंग व कुओं व अन्य कोई निर्माण नहीं है। इसकी 0 से 200 मीटर की त्रिज्या के मध्य कोई आवासीय व औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। विक्रीत भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है जिसे द्वितीय पक्ष ने खेती के लिए खरीदा है विवरण विक्रीत भूमि जो ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है जिसका प्रथम पक्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार पूर्णया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है जिसे प्रथम पक्ष ने बेचा है।

गाटा सं०	रकबा	हिस्सा
1194	0.101हे०	1/6 भाग
1197	0.202हे०	1/3 भाग
2 किता	0.303हे०	0.084हे०

विनोद कुमार

✓

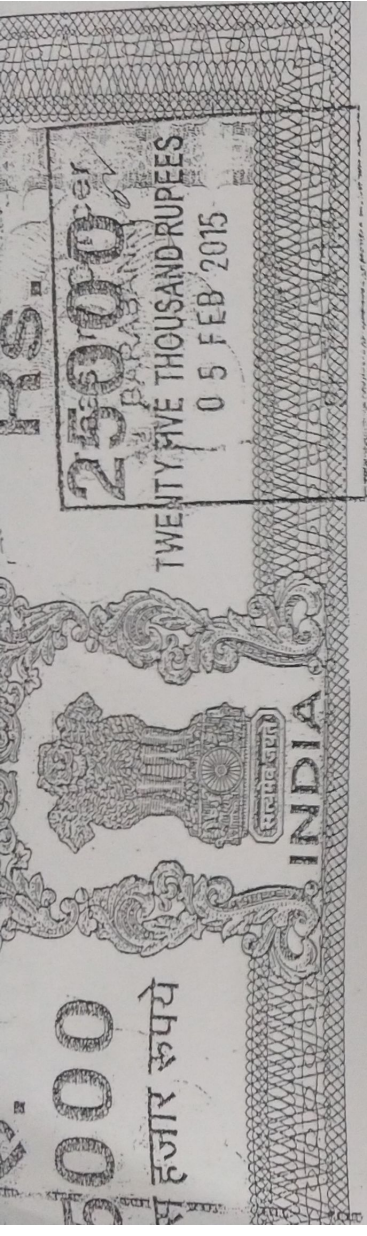


विक्रीत भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 50,00,000/- रूपया प्रति हे० की दर से व विक्रीत भूमि का रकबा 0.102हे० से कम होने के कारण दोगुनी दर से मालियत मु० 8,40,000/- रूपया होती है जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या स०वि०क०नि०-5-2756/11-2008-500(165) /2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अन्तर्गत ई-स्टाम्प नं०-IN-UP01032903743617N दिनांक 23.04.2015ई के द्वारा मु० 58,800/- रुपये का भुगतान किया गया है। चौहद्दी गाटा संख्या 1194-पूरब खेत गाटा संख्या 1169 पश्चिम खेत गाटा संख्या 1196 उत्तर खेत गाटा संख्या 1168 व 1195 दक्षिण खेत गाटा संख्या 1193. चौहद्दी गाटा संख्या 1197-पूरब खेत गाटा संख्या 1192 व 1193 पश्चिम खेत गाटा संख्या 1112 व 1113 उत्तर खेत गाटा संख्या 1198 व 1196 दक्षिण खेत गाटा संख्या 1192 व 1216. लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है व कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भांति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है।-----

दिनांक 25/12

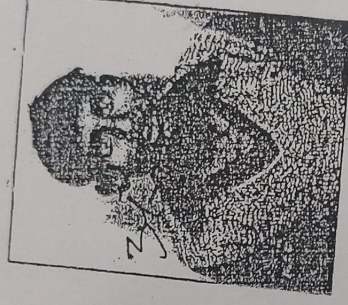
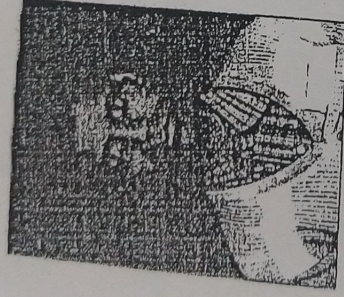
✓ 2800





UPRADESH

E 320675



२२२२२२२२२२

विक्रय-पत्र

बिक्री 600000/ मालियत 690000/ स्टाम्प 48500/

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण :

1. भूमि का प्रकार
2. परगना
3. ग्राम

- कृषि

- प्रतापगंज

- छेदानगर

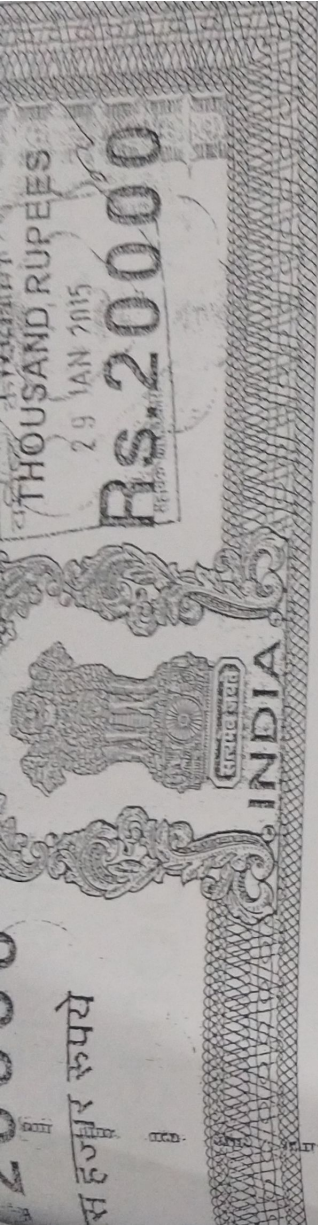
बी कोड-1357, पृष्ठ-94

२२२२२२२२२२

अजय

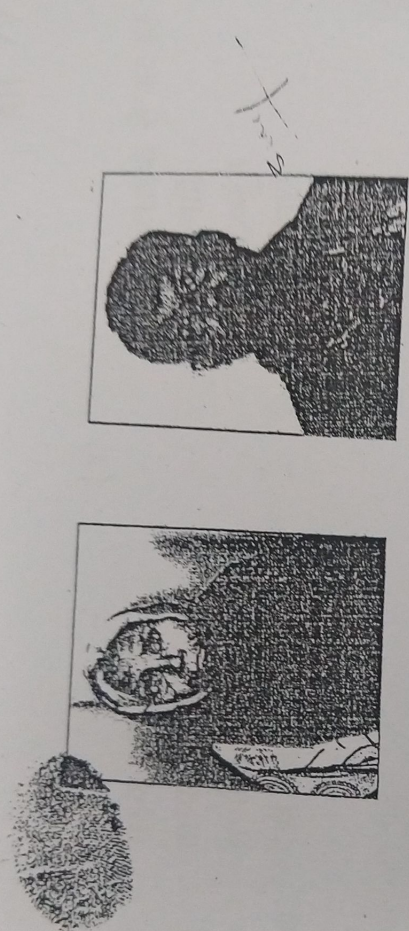
सदर को. वि. वि. वि. वि.

सुनी

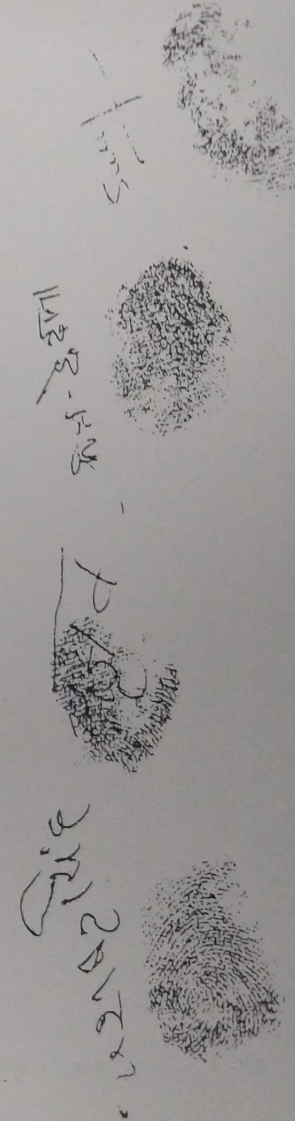


TAR PRADESH

B 139574



- (2)
- | | | |
|----|------------------------|---|
| 4. | सम्पत्ति का विवरण नं०- | 1278 |
| 5. | मापन की इकाई | हे० |
| 6. | क्षेत्रफल | 0.069 हे० (शून्य दशमलव शून्य छः नौ हे०) |





TAR PRADESH

AH 777102

(4)

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 11. | बोरिंग कुआं व अन्य | कुछ नहीं |
| 12. | सरकारी दर | 5000000/प्रति हे0 |
| 13. | प्रतिफल की धनराशि | 600000/- |
| 14. | चौहद्दी:-पूरब सरहद पश्चिम आराजी नं0 1277 उत्तर सरहद दक्षिण आराजी नं0 1279 --- | |

21/1/82

सिद्धि दशगो





UTTAR PRADESH

AH 777103

(5)

प्रथम पक्ष संख्या 3
विक्रेता का विवरण

1. यशवन्त सिंह 2. अर्जुन पुत्रगण
श्रीपाल 3. श्रीमती छेदना पत्नी श्रीपाल
निवासीगण ग्राम छेदानगर परगना
प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला
बाराबंकी ।

1. पहचान पत्र- UP/29/142/621407
2. पहचान पत्र- DSZ3254877
व्यवसाय-कृषि
3. पहचान पत्र- UP/29/142/621406
व्यवसाय-गृहिणी

द्वितीय पक्ष संख्या 1
क्रेता का विवरण

स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स
प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुहेल
पुत्र शमसुद्दीन निवासी मकान
नं0 27/6-1, सममोहन राय
मार्ग, हजरतगंज, जिला
लखनऊ ।

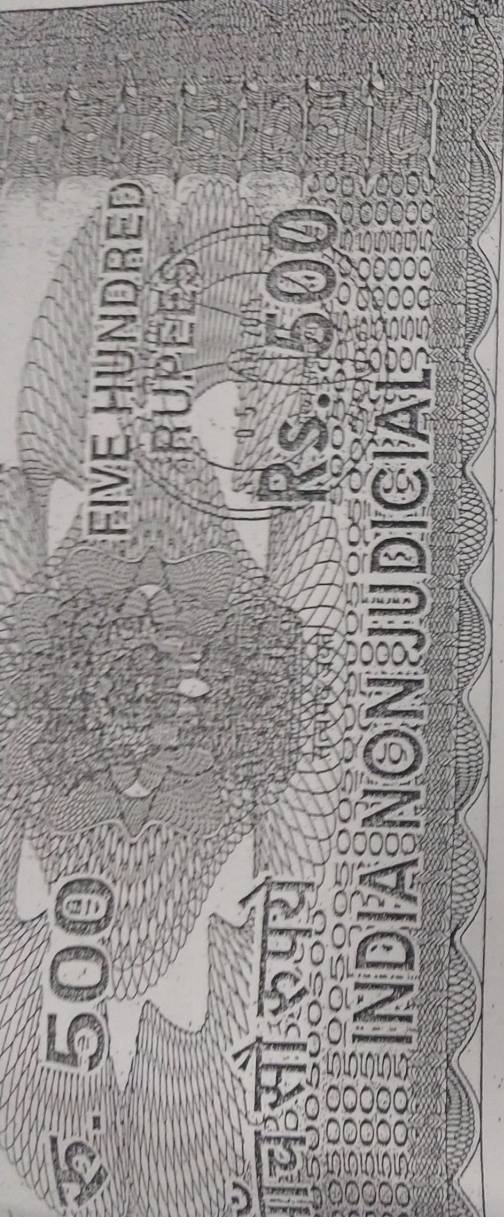
आधार कार्ड- 410576540127
व्यवसाय-व्यापार

पहचान पत्र

अर्जुन

क्रेता का विवरण

सुहेल



UTTAR PRADESH

U 998783

(6)

--लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण:--

हम 1.यशवन्त सिंह 2.अर्जुन पुत्रगण श्रीपाल 3.श्रीमती छेदाना पत्नी श्रीपाल निवासीगण ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी, (प्रथम पक्ष विक्रेता) व स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर सुहेल पुत्र शमसुद्दीन निवासी मकान नं० 27/6-1, राममोहन राय मार्ग, हजरतगंज, जिला लखनऊ, (द्वितीय पक्ष क्रेता) हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। जो कि हम प्रथम पक्ष आराजी भूमिधरी नम्बर 1278 रकबा 0.278हे०, जो ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी मे स्थित है। --

सहस्र देखा

सहस्र देखा



(7)

जिसके प्रथम पक्ष 1/3 भाग अर्थात् 0.0926 हे० भूमि के पूर्ण स्वत्व व संक्रमणीय भूमिधर है जो आज तक हर प्रकार के बन्धन व दायित्व आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है। अतः प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से अपने भाग की आराजी में से 0.069 हे० भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु० 600000/छः लाख रूपया जिसके आधे 300000/तीन लाख रूपया होते हैं, के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ देव दिया तथा कुल विक्रय मूल्य विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से नगद वसूल पा चुके हैं। अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से बिक्रीत भूमि पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण कब्जा करा दिया। इकरार करते हैं कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष का कोई स्वत्व या सम्बन्ध बिक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो चाहे करे व बिक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल बिक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी हम प्रथम पक्ष पर होगी। --

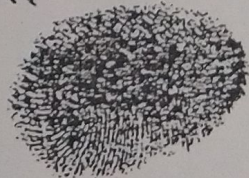
प्रथम पक्ष



द्वितीय पक्ष



समस्त दावेदार



समस्त दावेदार

